



R 45-I-17

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यपूर्वेश, ग्वालियर

12017 निगरानी

प्रकरण क्रमांक
प्रा. ८५० के ३१-१२ को
द्वारा आज दि ३१-१२ को
प्रस्तुत
बलक औक कोटि
ग्राम स्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सुरेश नारायण शर्मा पुत्र रामपराम से शर्मा,
निवासी - लिहिया मीहला, मिण्ड- तेहसील व
जिला मिण्ड-मध्यपूर्वेश।

प्रार्थी

बिराच्छ

प्रतिप्रार्थी

मध्यपूर्वेश शासन

१०
८.१.१७
३१-३१-१७

निगरानी बिराच्छ आदेश एस०डी०बी० महोदय मिष्ठ दिनांकी
२६-१२-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यपूर्वेश मु-राजस्व दीर्घता, १६५६।
प्रकरण क्रमांक ३० १६६-१७ वर्षील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न जाधारं पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि अधीनस्थ न्यायालयों की बाजारें कानून सही
नहीं हैं।

२- यह कि, एस०डी०बी० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं
कानूनी स्थिति की सही रूप से नहीं समझा है।

३- यह कि, एस०डी०बी० महोदय ने इष्टदाह०बी० द्वारा प्रार्थी के
स्थगन आवेदन-पत्र की निरस्त करने में अपने न्यायिक विवेक का
प्रयोग सही नहीं किया गया है।

४- यह कि, एस०डी०बी० महोदय का आवेदन, आदेश की परिपाणा
में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं बोलता हुआ आदेश न होकर
सकारण आदेश न होने से विवादित आवेदन निरस्ती योग्य है।

५- यह कि, पहोदय ने उनके समर्था प्रस्तुत स्थगन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-45-एक/17

जिला - भिण्ड

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
८५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २६-०२-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">~~~~~</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	